कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/भप्रआ/एसटीआई/प्रशिक्षण/8/19-20/ 898 **दिनांक:-** 10-10-2019

प्रशिक्षण कार्यशाला

निर्देशानुसार डीआईएलआरएमपी के अन्तर्गत राज्य की अधिसूचित ऑनलाईन तहसीलों में नामन्तरकरण के आवेदन तथा ई-धरती सॉफटवेयर एवं भू- नक्शा सॉफ्टवेयर पर व्यवहारिक रूप से कार्य किए जाने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक 1726-35 दिनांक 10/10/2019 के द्वारा दिनांक18.10.19 व 19.10.19 को सलंग्न सूची अनुसार प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर स्थित कम्प्यूटरीक़त लैब में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें मध्यान्ह भोजन एवं चाय का भुगतान आरबास के माध्यम से किया जाएगा।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

10/X/19

(महेन्द्र कुमार पारख)
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ **दिनांक-**

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1- अति. निदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जवाहर लाल नहरू मार्ग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था के साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के भोजन, चाय की व्यवस्था करवाने का श्रम करावें। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के भोजन, चाय की व्यवस्था के बिलों का भुगतान के लिए बिल CEO RBAAS जयपुर के नाम भिजवाने का श्रम करावें।
2- निजी सचिव, भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
3- निजी सचिव, निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4- निजी सहायक, अति. भूप्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
5- तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी जयपुर को आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु।
6- संबंधित सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यावास ।
7- प्रभारी, भू प्रबन्ध प्रशिक्षण, संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावें।
8- श्री राहुल मीणा सूचना सहायक, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर व्यवस्था करावें।
9- श्री महेन्द्र सैनी, गिरदावर श्री शिवप्रकाश स्वर्णकार गिरदावर, सुश्री रेखा सिंह पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण शिविर में नियत समय पर उपस्थित होवें।
10- प्रभारी आरबास जयपुर को निदेर्शित किया जाता है कि भोजन संबंधी भुगतान शीघ्र किया जावें।
11- श्री सत्यनारयण अग्रवाल च.श्रे.कर्म. को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण में जलपान की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करावें।

//
अति. भूप्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

250

S.T.I.